Supply Appeal Case No. 153/2018

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
18.09.2018		

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद **कारेलाल रजक, पिता-स्व0 विद्यानाथ रजक, सा0-मालपुर, थाना-रूपौली, जिला-पूर्णिया** द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक 247 दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद में निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित अपील आवेदन तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध खाद्यान्न वितरण में अनियमितता, जाँच के समय दुकान पर भण्डार तथा मूल्य प्रदर्शन का संधारण नहीं पाया जाना तथा दुकान में लाभुकों की सूची, कैशमेमो, भण्डार एवं वितरण पंजी उपलब्ध नहीं पाए जाने का आरोप है। साथ ही 50 कार्डधारियों के खाद्यान्न का वितरण एक ही दिन दर्ज कर भण्डार शून्य दर्शाया गया है।

अपीलार्थी द्वारा उक्त आरोप के संबंध में बताया गया है कि दुकान पर सूचनापट्ट प्रदर्शित था, जिसे खेल-खेल में बच्चों द्वारा मिटा दिया गया। जहांतक दुकान में कैशमेमो, भण्डार पंजी आदि उपलब्ध नहीं रहने की बात है, इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा उल्लेख किया गया है कि बच्ची का तबियत अचानक खराब हो जाने के कारण अन्य कमरे में उक्त कागजात बन्द कर पत्नी बाहर चली गई थी। खद्यान्न का वितरण पंचायत निगरानी समिति की देख-रेख में किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश का उल्लंघन नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत नहीं है, जिसे रद्द किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक -7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पूर्णिया द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी द्वारा जनवितरण प्रणाली के दुकान के संचालन में काफी अनियमितता बरती गई है। निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया है। तद्नुसार न्यायालय विचार कर सकती है।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजात्, उनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन, विशेष लोक अभियोजक-7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पूर्णिया का अभिकथन एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा दुकान के संचालन में अनुज्ञप्ति शर्तो का पालन नहीं

किया गया है। अपीलार्थी द्वारा कई अनियमितताओं को स्वीकार भी किया गया है। सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में लगाए गए आरोप के संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, धमदाहा के आदेश ज्ञापांक 247 दिनांक 22.06.2018 को पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस करें।

इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।

समाहर्त्ता,
पूर्णिया।